



Neutral Citation No. - 2026:AHC:25032

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 227 के तहत आवेदन संख्या - 3/2026

मोहम्मद आरिफ

आवेदक(गण)

बनाम

लैक अहमद

प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : रामा गोयल बंशल, शालिनी गोयल

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : रूपेश श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 35

एएफआर

माननीय न्यायमूर्ति डा. योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

- हमने याचिकाकर्ता की ओर से सुश्री रमा गोयल बंसल और प्रतिवादी की ओर से श्री रूपेश श्रीवास्तव की दलीलें सुनीं।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्रस्तुत याचिका में बरेली के लघु वाद न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा एससीसी वाद संख्या 6/2019 में दिनांक 03.09.2025 और 09.10.2025 को पारित आदेशों और बरेली के जिला न्यायाधीश द्वारा प्रकीर्ण सिविल मामले संख्या 397/2025 में दिनांक 20.11.2025 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा प्रांतीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम की धारा 25 के तहत दायर पुनरीक्षण याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया गया था।
- यह विवाद प्रतिवादी-वादी द्वारा दायर एससीसी वाद संख्या 6/2019 से उत्पन्न हुआ है, जिसमें याचिकाकर्ता-प्रतिवादी को मीना बाजार, मोहल्ला टांडा, इमामबाड़ा बहेरी के पास, जिला बरेली में स्थित एक दुकान से बेदखल करने की मांग की गई है। वादी ने 15.04.1988 की पंजीकृत विक्रय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विलेख के आधार पर परिसर पर अपना स्वामित्व जताया और दलील दी कि विचाराधीन दुकान कादरी बाजार का हिस्सा है, जिसका निर्माण वर्ष 2000-2001 के दौरान हुआ था।

4. वादी का विशिष्ट मामला यह था कि दुकान वर्ष 2003 में प्रतिवादी को 2,500 रुपये प्रति माह के किराए पर दी गई थी और प्रतिवादी दो दुकानों पर कुल 5,000 रुपये प्रति माह के किराए पर काबिज था। आरोप था कि प्रतिवादी ने अगस्त 2018 के बाद किराए का भुगतान नहीं किया। परिणामस्वरूप, 16.01.2019 को किरायेदारी समाप्त करने और किराए के बकाया की मांग करते हुए एक नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस का पालन न करने का आरोप लगाते हुए, बेदखली का मुकदमा दायर किया गया।

5. वादी ने आगे दलील दी कि उसी तारीख को उसने एक ही बाजार में विभिन्न दुकानों पर कब्जा करने वाले अलग-अलग किरायेदारों के खिलाफ कई बेदखली के मुकदमे दायर किए थे, अर्थात् एससीसी मुकदमा संख्या 4 से 9/2019। यह दावा किया गया कि उक्त प्रत्येक मुकदमा किरायेदारी समाप्त करने के संबंधित नोटिस, प्रेषण के प्रमाण वाले डाक रसीद और संबंधित प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस के साथ दायर किया गया था। वादी के अनुसार, एक साथ कई मुकदमे दायर करने के कारण, दाखिले के स्तर में अनजाने में एक सद्भावनापूर्वक हुई गलती हुई, जिसके परिणामस्वरूप एससीसी मुकदमा संख्या 6/2019 से संबंधित मूल दस्तावेज गलती से एससीसी मुकदमा संख्या 7/2019 के रिकॉर्ड के साथ और इसके विपरीत हो गए।

6. कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी का बचाव खारिज कर दिया गया। वादी ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए और जिरह के दौरान, पी.डब्लू संख्या 1 ने कागज़ संख्या 8C2 का अवलोकन करने के बाद कहा कि उक्त दस्तावेज़ प्रतिवादी को जारी किया गया नोटिस था। इसके बाद, अंतिम बहस के चरण में, वादी ने दिनांक 19.08.2025 (कागज़ संख्या 81C) को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें एससीसी वाद संख्या 7/2019 के अभिलेख से संबंधित दस्तावेज़ों को तलब करने की मांग की गई थी।

7. दिनांक 03.09.2025 के आदेश द्वारा, विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड रूम से एससीसी सूट संख्या 7/2019 का रिकॉर्ड मंगवाने का निर्देश दिया। इसके बाद, दिनांक 09.10.2025 के आदेश द्वारा, आवेदन को स्वीकार कर लिया गया, विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा दी गई इस व्याख्या को स्वीकार करते हुए कि चूक सद्भावनापूर्वक हुई थी और एक साथ कई मुकदमे दायर करते

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समय अनजाने में हुई गलती के कारण हुई थी। आवेदन को स्वीकार करते हुए, विचारण न्यायालय ने स्पष्ट रूप से प्रतिवादी को उन दस्तावेजों के संबंध में आगे की जिरह के लिए गवाहों को दोबारा बुलाने हेतु आवेदन करने का अधिकार है, जिन्हें तलब किया गया है के लिए यह स्वतंत्रता प्रदान की।

8. इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने प्रांतीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे प्रकीर्ण सिविल मामला संख्या 397/2025 के रूप में पंजीकृत किया गया। पुनरीक्षण न्यायालय ने दिनांक 20.11.2025 के आदेश द्वारा पुनरीक्षण याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आक्षेपित आदेश "निर्णित मामला" नहीं है और इसलिए पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है।

9. इस न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रारंभ में आक्षेपित आदेशों को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि अंतिम बहस के चरण में दस्तावेजों को तलब करने की अनुमति देना वादी को मामले में खामियों को भरने की अनुमति देने के समान था और इससे प्रतिवादी के पक्ष में अर्जित एक महत्वपूर्ण अधिकार का हनन हुआ। हालांकि, कुछ हद तक दलीलें देने के बाद, विद्वान अधिवक्ता इस बात से गंभीर रूप से असहमत नहीं हो सके कि विचारण न्यायालय द्वारा सद्भावनापूर्ण त्रुटि के आधार पर दस्तावेजों को तलब करने का आदेश विकृत या पूरी तरह से अनुचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पारित किया गया था।

10. दूसरी ओर, प्रतिवादी-वादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मुकदमा दायर करते समय सही दस्तावेजों का सेट दाखिल न कर पाना पूरी तरह से अनजाने में हुआ था और यह एक ही तारीख को अलग-अलग किरायेदारों के खिलाफ एक साथ कई बेदखली के मुकदमे दायर करने का सीधा परिणाम था। यह तर्क दिया गया कि जिन दस्तावेजों को तलब करने की मांग की गई थी, वे नए दस्तावेज नहीं थे जिन्हें पहली बार कार्यवाही में पेश किया जा रहा था, बल्कि वे पहले से ही संबंधित एससीसी मुकदमे के न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा थे और वादी के मामले के आधारभूत दस्तावेज थे। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, विशेष रूप से विचारण न्यायालय द्वारा गवाहों को आगे की जिरह के लिए बुलाने और उक्त दस्तावेजों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने की दी गई स्वतंत्रता को देखते हुए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत, जिस पर अभी भी विचार किया जाना बाकी है, यह है कि 20.01.2026 के एक बाद के आदेश द्वारा, विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता को गवाहों से जिरह करने और रिकॉर्ड पर लाए गए अतिरिक्त दस्तावेजों के आलोक में अपनी दलीलें पेश करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना मामले को बहस/आदेशों के लिए निर्धारित कर दिया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता निष्पक्षता से इस प्रार्थना का विरोध नहीं करते हैं कि मुकदमे के अंतिम निर्णय से पहले ऐसा अवसर प्रदान किया जाए।

12. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत इस न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधीनस्थ न्यायालय अपनी अधिकार सीमा के भीतर कार्य करें, उन्हें प्रदत्त क्षेत्राधिकार का प्रयोग विधि के अनुसार करें और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करें। यद्यपि यह न्यायालय अंतरिम या प्रक्रियात्मक आदेशों पर अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है, फिर भी प्रक्रियात्मक अनियमितता के कारण किसी पक्ष को उचित अवसर से वंचित किए जाने की स्थिति में इसे हस्तक्षेप करना अनिवार्य है।

13. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 14(3) के तहत उन दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने पर प्रक्रियात्मक रोक लगाई गई है जिन्हें वाद प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था या सूचीबद्ध किया जाना था, लेकिन प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रावधान का उद्देश्य वादी के दावे के दस्तावेजी आधार का शीघ्र खुलासा अनिवार्य करके और कार्यवाही के बाद के चरण में प्रतिपक्षी को आश्चर्यचकित होने से रोककर प्रक्रियात्मक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। साथ ही, यह प्रावधान न्यायालय को बाद के चरण में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए अनुमति देने का विवेकाधिकार भी प्रदान करता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि नियम निर्देशात्मक है, अनिवार्य नहीं।

14. प्रक्रिया संहिता न्याय को सुगम बनाने और उसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई विधि है, और इसे दंड और जुर्माने का प्रावधान करने वाले कानून के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। प्रक्रिया संहिता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, किसी पक्ष की पीठ पीछे निर्णय नहीं लिए जाने चाहिए, और जीवन या संपत्ति को प्रभावित करने वाली कार्यवाही में पक्षकार को प्रभावी भागीदारी का अवसर दिए बिना कार्यवाही जारी नहीं रहनी चाहिए। स्पष्ट रूप से परिभाषित अपवादों के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधीन रहते हुए, प्रक्रिया संबंधी प्रावधानों की व्याख्या, जहाँ तक संभव हो, इन सिद्धांतों के आलोक में की जानी चाहिए।

15. सी.पी.सी. के आदेश VII नियम 14(3) के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग तीन गुना परीक्षण लागू करके विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना आवश्यक है: (i) क्या दस्तावेज़ को पहले दाखिल न करना सद्भावनापूर्ण था; (ii) क्या दस्तावेज़ विवाद के प्रभावी निपटारे के लिए प्रासंगिक और आवश्यक है; और (iii) क्या बाद के चरण में इसे प्रस्तुत करने की अनुमति देने से प्रतिवादी को गंभीर पूर्वाग्रह या अपूरणीय अन्याय होगा।

16. वर्तमान मामले में, निचली अदालत ने स्पष्ट रूप से पाया है कि यह चूक एक अनजाने और सद्भावनापूर्ण गलती के कारण हुई, जो एक ही तारीख को अलग-अलग किरायेदारों के खिलाफ कई बेदखली मुकदमों को एक साथ दायर करने के परिणामस्वरूप हुई। जिन दस्तावेजों को तलब करने की मांग की गई है, वे किरायेदारी समाप्त करने की सूचना, प्रेषण के प्रमाण स्वरूप डाक रसीदें और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबी सूचना से संबंधित हैं, जो सभी बेदखली कार्यवाही का आधार हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दस्तावेज पहले से ही संबंधित एससीसी मुकदमे के न्यायिक अभिलेख का हिस्सा थे और इन्हें पहली बार पेश करने की मांग नहीं की गई थी।

17. विचारण न्यायालय द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग स्वयं आदेश में शामिल सुरक्षा उपायों द्वारा और भी मजबूत होता है। प्रतिवादी को स्पष्ट रूप से यह स्वतंत्रता दी गई थी कि वह तलब किए गए दस्तावेजों के संबंध में आगे की जिरह के लिए गवाहों को फिर से बुला सके। यह दृष्टिकोण इस स्थापित सिद्धांत के अनुरूप है कि प्रक्रियात्मक कानून न्याय के सहायक होते हैं और उन्हें इस प्रकार लागू किया जाना चाहिए जिससे वास्तविक न्याय को बढ़ावा मिले, न कि उसमें बाधा उत्पन्न हो। सर्वोच्च न्यायालय ने **संग्राम सिंह बनाम चुनाव न्यायाधिकरण, कोटा और पंजाब राज्य बनाम शामलाल मुरारी** के मामलों में लगातार यह धारित किया है कि प्रक्रिया के नियम न्याय को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं, न कि उसे विफल करने के लिए। यह भी जोर दिया गया है कि प्रक्रियात्मक प्रावधानों की व्याख्या व्यावहारिक रूप से की जानी चाहिए ताकि निष्पक्ष सुनवाई को बढ़ावा मिले, न कि तकनीकी आधार पर उसे विफल किया जाए। इस सिद्धांत को लगातार दोहराया गया है कि जहां न्यायालय किसी पक्ष की सत्यनिष्ठा से संतुष्ट है और दूसरे पक्ष को पर्याप्त

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अवसर दिया गया है, वहां बाद के चरण में दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण कार्यवाही को अमान्य नहीं करता है।

18. धारा 151 सीपीसी के तहत न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का उद्देश्य संहिता के प्रक्रियात्मक ढांचे को पूरक बनाना और उन स्थितियों में न्याय सुनिश्चित करना है जहां प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने से अन्याय हो सकता है। धारा 151 सीपीसी के दायरे और विस्तार को सर्वोच्च न्यायालय ने **मनोहर लाल चोपड़ा बनाम राय बहादुर राव राजा सेठ हीरालाल** मामले में आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया है, जिसमें यह धारित किया गया था कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां संहिता द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त शक्तियों की पूरक हैं और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि इनका प्रयोग कानून के किसी भी स्पष्ट प्रावधान के साथ टकराव नहीं होना चाहिए। आदेश VII नियम 14(3) सीपीसी और धारा 151 सीपीसी का संयुक्त अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि जहां न्याय के हित में आवश्यक हो, और जहां विपक्षी पक्ष को अतिरिक्त दस्तावेजों द्वारा स्थापित मामले का जवाब देने का पर्याप्त अवसर दिया गया हो, वहां न्यायालय उचित सुरक्षा उपायों के अधीन रहते हुए, इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए पूर्णतः अपने अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि प्रक्रियात्मक कानून न्याय में बाधा नहीं बल्कि सहायक होता है। न्यायालय को सभी संबंधित पक्षों के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए व्यापक विवेकाधिकार प्राप्त है, और ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग न्याय के हित में करते हुए विपक्षी पक्ष के साथ निष्पक्षता बनाए रखने और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करने के लिए किया जाना चाहिए।

19. साथ ही, प्रक्रिया में निष्पक्षता के लिए यह आवश्यक है कि एक बार ऐसे दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लाने की अनुमति दिए जाने के बाद, विरोधी पक्ष को जिरह और तर्क प्रस्तुत करने के माध्यम से उनका वास्तविक, प्रभावी और सार्थक जवाब देने का अवसर दिया जाए। ऐसे अवसर से वंचित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा और इस न्यायालय द्वारा पर्यवेक्षी हस्तक्षेप का कारण बनेगा।

20. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, न्यायालय को निचली अदालत द्वारा दिनांक 03.09.2025 और 09.10.2025 को पारित आदेशों में, और पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2025 को

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पारित आदेश में, प्रासंगिक दस्तावेजों को तलब करने और अभिलेख में लेने के संबंध में, कोई अवैधता, क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि या विकृति नहीं मिलती है। निचली अदालतों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **के.के. वेलुसामी बनाम एन. पलानीसामी** मामले में प्रतिपादित कानून के अनुरूप है, जिसमें यह धारित किया गया है कि प्रक्रियात्मक प्रावधान, जिनमें अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने या गवाहों को पुनः बुलाने की शक्ति शामिल है, न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हैं और इनका प्रयोग तब किया जा सकता है जब न्यायालय पक्ष की सत्यनिष्ठा से संतुष्ट हो और जब प्रतिपक्षी को अभिलेख में लाए गए साक्ष्यों का खंडन करने का पर्याप्त अवसर दिया गया हो। फलस्वरूप, याचिकाकर्ता द्वारा आक्षेपित आदेशों को रद्द करने की मांग को अस्वीकार किया जाता है।

21. हालांकि, अंतिम आदेशों के लिए मामले को बाद में तय किए जाने और याचिकाकर्ता की ओर से पर्याप्त अवसर न मिलने के संबंध में व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की यह राय है कि अंतिम निर्णय सुनाने से पहले विचारण न्यायालय को पक्षों को पूरा अवसर प्रदान करने का निर्देश देना न्याय के उद्देश्यों की सर्वोत्तम पूर्ति होगी।

22. तदनुसार, याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि बरेली स्थित लघु वाद न्यायालय के न्यायाधीश, दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करें, यदि अनुरोध किया जाए तो एससीसी वाद संख्या 7/2019 के अभिलेख से मंगाए गए दस्तावेजों के संबंध में गवाहों को पुनः बुलाकर जिरह करें, और उसके बाद दोनों पक्षों को तर्क प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान करने के बाद मामले की सुनवाई और निर्णय करें। निचली अदालत उचित शर्तों के अधीन कार्यवाही को इस प्रकार विनियमित कर सकती है जिससे प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और शीघ्र निस्तारण के बीच संतुलन बना रहे।

23. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है, जिसका निर्णय निचली अदालत द्वारा कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति डा. योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव)

दिनांक - 4 फरवरी, 2026

आरकेके/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।